फर्द अहकाम

राधेश्याम बनाम गणेशनारायण

नाम न्यायालय ACM आमेर-जयपुर

केस संख्या 21/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/8/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/8/25 को पेश हो।
	28/08/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वादी अधिवक्ता उपस्थित। आपत्ति कुरेजात पर बहस सुनी गई। प्रस्तुत आपत्ति पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है तथा तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुरेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 21/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक – 06.03.2024

1. राधेश्याम पुत्र श्री भूराराम
2. रामनारायण पुत्र श्री भूराराम
3. रामनिवास पुत्र श्री भूराराम
4. रामसहाय पुत्र श्री भूराराम
5. श्रवण लाल पुत्र श्री भूराराम
6. प्रभाती देवी पत्नी भूराराम

सर्व जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।

......वादीगण

बनाम

1. गणेश नारायण पुत्र भूराराम जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी गांव हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जनसीसी जिला जयपुर।

....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 28.08.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 153/291 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 1.06 हैक्टेयर राजस्व ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसके वादीगण कब्जे काश्त में है व खातेदार काश्तकार होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, जो प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त हैं। आराजी खसरा नम्बर 154 में प्रत्येक वादीगण एवं प्रतिवादी का 1/6 हिस्सा निहित है तथा खसरा नम्बर 153/291 में प्रत्येक वादीगण से प्रतिवादी का 1/8 हिस्सा निहित है उसी अनुसार कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी को मौके पर मनबंट से बांट रखी है तथा अपने अपने हिस्से की भूमि पर मकानात बनाकर काबिज काश्त एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग एवं उपभोग कर लाभान्वित होते हुए काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका आज तक कानूनी रूप से विभाजन नही हुआ है। वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये ही विक्रय व हस्तान्तरण करना चाहते व अच्छी जमीन पर कब्जा करने एवं वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा व तत्पर हैं। जिस क्रम में प्रतिवादीगण संख्या 1 दिनांक रामसहाय रामनिवास व्ययवाण लालशर्मा 12/2/2024 को कुछ अनजान व्यक्तियों को साथ लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये जो जमीन को विक्रय करने

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

की बाते कर रहे थे। वादग्रस्त आराजी का बिना विभाजन कराये प्रतिवादीगण विक्रय व हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने एवं क्रेताओं का मनचाहे स्थान पर कब्जा कराने एवं निर्माण कर व करवाकर भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने व कराने हेतु आमादा व तत्पर हैं। जिसमें यदि प्रतिवादीगण सफल हो गये तो वादीगण को असहाय क्षति होगी। वादीगण वादग्रस्त आराजी का कब्जे काश्त के मध्यनजर रखते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। प्रस्तुत वाद के लिए वादकारण दिनांक 12/02/2024 को उत्पन्न हुआ है जिससे दावा अन्दर अवधि हैं। प्रतिवादी संख्या 2 को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं। अतः वाद वादीगण मय शपथ पत्र विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

वादी अधिवक्ता ने प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया तथा जाहिर किया कि वाद बंटवारे से संबंधित है अतः वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया गया तदनुसार तहसीलदार जालसू जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर ग्रामीण स्थित आराजी खसरा नम्बर 153/291 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 154 रकबा 1.06 हैक्टेयर का कब्जे–काश्त को ध्यान में रखते हुये बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025 /2623 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। उभयपक्ष की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई।

वादीगण ने आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया की कुर्रेजात प्रस्ताव में केवल प्रतिवादी का तकासमा किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया वादी का तकासमा किया गया है तथा वादी के अन्य भाई सहखातेदार काश्तकार आपस में भाईयों का विवाद होता है तथा प्रार्थी व वादी के मध्य तकासमा बाबत सहमति प्रदान की गई थी उसके बावजूद प्रार्थी को कुर्रेजात रिपोर्ट मे शामिल नहीं किया गया ना ही कोई नोटिस दिया गया। तहसीलदारा द्वारा रेवून्यू [illegible] की पालना भी नहीं की है तथा कुर्रेजात कार्यालय में बैठकर बनाई [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:16 IST
Reason: SelfAttested

बहस आपत्ति सुनी गई। [illegible] रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट [illegible] प्रस्तुत किये गये है। वादी द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

समुचित व्यवस्था नही हों। अतः वादी की आपत्ति खारिज करते हुए तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. 1/5 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा, खातेदार राहिन हि. 1/5 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा, रामनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/5 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार राहिन हि. 1/5 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा, रामनिवास पुत्र भूराराम हि. 1/5 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार राहिन हि. 1/5 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा, रामसहाय पुत्र भूराराम हि. 1/5 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा, श्रवणलाल पुत्र भूराराम हि. 1/5 जाति ब्राहम्ण सा. हरदन्तपुरा खातेदार राहिन हि. 1/5(पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा के हिस्से खसरा नंबर 154/1 रकबा 0.8834 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 किता 1 रकबा 0.8834 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. प्रभातीदेवी पत्नी भूराराम हि. 500/3417 जाति ब्राहम्ण सा. हरदन्तपुरा खातेदार राहिन हि. 500/3417 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा आमेर, राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. 5834/34170 जाति ब्राहम्ण सा. हरदन्तपुरा, रामनारायण पुत्र भूराराम हि. 5834/34170 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार, रामनिवास पुत्र भूराराम हि. 5834/34170 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार, रामसहाय पुत्र भूराराम हि. 5834/34170 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार, श्रवणलाल पुत्र भूराराम हि. 5834/34170 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 153/291/1 रकबा 0.3417 हैक्टेयर किता 1 रकबा 0.3417 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. गणेशनारायण पुत्र भूराराम हि. पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. हरदन्तपुरा खातेदार राहिन (ख. नं. 154/2) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर, झोटवाडा खातेदार के हिस्से खसरा नं. 154/2 रकबा 0.1766 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 खसरा नं. 153/291/2 रकबा 0.0583 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 किता 2 रकबा 0.2349 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी

आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 21/2024

वाद प्रस्तुति दिनांक – 06.03.2024

1. राधेश्याम पुत्र श्री भूराराम
2. रामनारायण पुत्र श्री भूराराम
3. रामनिवास पुत्र श्री भूराराम
4. रामसहाय पुत्र श्री भूराराम
5. श्रवण लाल पुत्र श्री भूराराम
6. प्रभाती देवी पत्नी भूराराम

सर्व जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।

......वादीगण

बनाम

1. गणेश नारायण पुत्र भूराराम जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी गांव हरदत्तपुरा तहसील रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जनसीसी जिला जयपुर।

....प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. 1/5 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा, खातेदार राहिन हि. 1/5 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा, रामनारायण पुत्र भूराराम हि. 1/5 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार राहिन हि. 1/5 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा, रामनिवास पुत्र भूराराम हि. 1/5 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार राहिन हि. 1/5 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा, रामसहाय पुत्र भूराराम हि. 1/5 (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा, श्रवणलाल पुत्र भूराराम हि. 1/5 जाति ब्राहम्ण सा. हरदन्तपुरा खातेदार राहिन हि. 1/5(पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर झोटवाडा के हिस्से खसरा नंबर 154/1 रकबा 0.8834 [illegible] किता 1 रकबा 0.8834 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:16 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रभातीदेवी पत्नी भूराराम हि. 500/3417 [illegible] ब्राहम्ण [illegible] हरदन्तपुरा खातेदार राहिन हि. 500/3417 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक [illegible] पुर शाखा आमेर, राधेश्याम पुत्र भूराराम हि. 5834/34170 जाति ब्राहम्ण सा. हरदन्तपुरा, रामनारायण पुत्र भूराराम हि. 5834/34170 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार, रामनिवास पुत्र भूराराम हि. 5834/34170 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार, रामसहाय पुत्र भूराराम हि.

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5834/34170 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार, श्रवणलाल पुत्र भूराराम हि. 5834/34170 जाति ब्राहम्ण, सा. हरदन्तपुरा खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 153/291/1 रकबा 0.3417 हैक्टेयर किता 1 रकबा 0.3417 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

3. गणेशनारायण पुत्र भूराराम हि. पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. हरदन्तपुरा खातेदार राहिन (ख. नं. 154/2) पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर, झोटवाडा खातेदार के हिस्से खसरा नं. 154/2 रकबा 0.1766 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 खसरा नं. 153/291/2 रकबा 0.0583 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 किता 2 रकबा 0.2349 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 28.08.2025 को जारी किया।

दस्तखत——
ओहदा——

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बवत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:52:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner